

(7)

हिमाचल प्रदेश सरकार
 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
 (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
 संख्या:वैल-बी-ए (10) 17/98 दिनांक शिमला-171002, २४ अगस्त, 2009

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या:कल्याण-ए
 (3)-4/89 दिनांक 24.8.1991 तथा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं
 को निरस्त करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अन्तर्जातीय विवाह नियम/योजना
 2009 को रांगन अनुबन्ध के अनुसार बनाने में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
 2. यह नियम/योजना हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की
 तिथि से लागू होंगे।

प्रेम कुमार
 प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
 हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या:वैल-बी-ए (10) 17/98 दिनांक शिमला-171002, २४ अगस्त, 2009
 प्रार्थित:-

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या:9-24/2008-(एस)-एस.जे.ई. दिनांक 13.1.2009 के संदर्भ में, 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
2. समरसा प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. राग्रस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
4. समरस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
5. समरस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
6. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश शिगला-171003.
7. उप सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को दिनांक 10.8.2009 को हुई मंत्रीमण्डल की बैठक की मद संख्या 14 के संदर्भ में।
8. अवर सचिव (वित्त विनियम) हिमाचल प्रदेश सरकार।
9. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।

Uttar
 अवर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
 हिमाचल प्रदेश सरकार

अन्तर्राजातीय विवाह पुरस्कार नियम / योजना

1. शीर्षक :

यह योजना हिमाचल प्रदेश अन्तर्राजातीय विवाह पुरस्कार योजना 2009 कहलायेगी।

2. परिभाषाएँ:

- 2.1 "निदेशक" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक से है।
- 2.2 "अनुसूचित जातियों" से अभिप्राय भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जातियों से है।
- 2.3 "जिला कल्याण अधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित जिला के जिला कल्याण अधिकारी से है।
- 2.4 "अन्तर्राजातीय विवाह" से अभिप्राय अनुसूचित जातियों जो हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या: डब्ल्यूएल.एफ.-ए(3)14/76, दिनांक 18.11.1977 द्वारा घोषित की गई तथा अन्य जातियों के युवक/युवती के मध्य होने वाले विवाह से है।
- 2.5 "अन्य जातियों" से अभिप्राय हिन्दू, बौद्ध, सिख या जैन धर्म से सम्बन्धित जातियां जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूचि में शामिल नहीं हैं।
- 2.6 "सरकार" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सरकार से है।
- 2.7 "उपायुक्त" से अभिप्राय जिला के उपायुक्त से है।
- 2.8 "तहसील कल्याण अधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी से है।
- 2.9 "अनुबन्ध से अभिप्राय इस योजना के साथ सलग्न अनुबन्धों से है।

3. उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा देकर छूआछूत की कुप्रथा को समाप्त करना है।

4. पात्रता :

अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अन्य जाति^{में} निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:-

- 4.1 प्रार्थी हिमाचल प्रदेश के रथाई निवासी हो।
- 4.2 दम्पति की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।
- 4.3 विवाह उचित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ हो।
- 4.4 प्रार्थी द्वारा इससे पहले अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार प्राप्त न किया हो।

5. पुरस्कार प्राप्त करने की प्रक्रिया:

अन्य अनुसूचित जाति के युवक/युवति को पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध "क" पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित सम्बन्धित पंचायत/नगर निकायों के माध्यम से सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा:-

- 5.1 हिमाचली प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार के पद से कम न हों), से जारी हों।
- 5.2 दम्पति का जाति प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार के पद से कम न हों), से जारी हो।
- 5.3 आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, दरावीं कक्षा की वार्षिक प्रमाण पत्र इत्यादि)
- 5.4 विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जो विवाह पंजीकरण अधिकारी से जारी हो।
- 5.5 दम्पति का फोटोग्राफ।

6. पुरस्कार राशि

अन्य जातियों के युवक/युवति को अनुसूचित जाति के युवती/युवक के साथ विवाह करने पर 25,000/-₹० अथवा रामय-2 पर सरकार द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि स्वीकृत की जाएगी।

7. पुरस्कार रखीकृति की प्रक्रिया

- 7.1 पुरस्कार के लिये निर्धारित प्रार्थना पत्र में दिये गए तथ्यों की जांच सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा की जायेगी जो अपनी जांच रिपोर्ट सहित पात्रा प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजेगे।

7.2 जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में समय-समय पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की सूचि प्राप्ति की तिथि अनुसार रजिस्टर / सौफ्टवेयर में दर्ज करेगे था सम्बन्धित जिला को आबंटित बजट के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

8. पुरस्कार स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी:

अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार स्वीकृत करने के लिये सम्बन्धित जिला के उपायुक्त सक्षम अधिकारी होगे।

9. पुरस्कार भुगतान की प्रक्रिया

9.1 पुरस्कार राशि में 60 प्रतिशत हिस्सा दम्पति के नाम संयुक्त रूप में बैंक / डाकघर पांच वर्ष के लिए किसी भी सावधि जमा योजना में जमा करवा कर दिया जायेगा जिसे सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के नाम पर बन्धक रखा जायेगा तथा 40 प्रतिशत हिस्सा दम्पति के संयुक्त बचत खाता में सीधे जमा करवाया जायेगा तथा लाभार्थी से निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध "ख" पर रसीद प्राप्त की जायेगी।

9.2 पुरस्कार वितरण की तिथि के पांच वर्ष तक की अवधि के भीतर यदि दम्पति में विवाह विच्छेद हो जाता है तो 60 प्रतिशत राशि की सावधि जमा को रद्द करके जिला कल्याण अधिकारी सरकारी खजाना में जमा करवायेंगे।

10. सत्यापन रिपोर्ट

10.1 सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह लाभार्थियों से पुरस्कार राशि की प्राप्ति से पांच वर्ष तक की अवधि में प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में यह रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि दम्पति खुशहाल विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा नहीं तथा सभी मामलों की संकलित रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध "ग" पर जिला कल्याण अधिकारी को 30 जनवरी तक प्रस्तुत करेंगे। जिला कल्याण अधिकारी समस्त तहसीलों की संकलित रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध "ग" पर 15 फरवरी तक निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।

10.2 यदि दम्पति के साथ विवाहित जीवन में जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाता है और उन्हें आपसी सम्बन्ध में समायोजन में कठिनाई आती है तो सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी / जिला कल्याण अधिकारी द्वारा उन्हें आवश्यक परामर्श देंगे।

11. लेखाशीर्ष

अन्तर्राजातीय विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय लेखाशीर्ष 2225—अनुसूचितजाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण— 01—अनुसूचित जाति का कल्याण—789—03(सूस) (योजना) के अन्तर्गत अथवा सरकार द्वारा समय—समय पर महालेखाकार की सहमति से किये गए संशोधित लेखाशीर्ष में प्रावधित बजट में से किया जायेगा।

12. अभिलेख का रख रखाव

सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी प्रत्येक अन्तर्राजातीय विवाह से सम्बन्धित लेखा एवं रिकार्ड के रख रखाव हेतु जिम्मेदार अधिकारी होंगे।

13. लेखों के आडिट

योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय का आडिट महालेखाकार (लेखा) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय के द्वारा किया जायेगा।

(18)

अनुबन्ध - "क"

अन्तर्राजातिय विवाह पुरस्कार योजना के लिए प्रार्थना पत्र

(1) प्रार्थी का नामः

दम्पति का
फोटोग्राफ

(2) जाति:

(3) जन्म तिथि:

(4) पिता का नामः

(5) प्रार्थी का स्थाई पता: गांव ————— डा० ————— पिन कोड —————
 पंचायत ————— तहसील ————— जिला —————

(6) प्रार्थी का वर्तमान पता: गांव ————— डा० ————— पिन कोड —————
 पंचायत ————— तहसील ————— जिला —————

(7) प्रार्थी का वर्तमान व्यवसायः

(8) प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता

(9) प्रार्थी के पति/पत्नी का नामः

(10) प्रार्थी के पति/पत्नी की जाति:

(V)

(11) प्रार्थी के पति/पत्नी की जन्म तिथि:

(12) प्रार्थी के पति/पत्नी के पिता का नाम:

(13) प्रार्थी प्रार्थी के पति/पत्नी का स्थाई पता:

गांव ————— डाउ ————— पिन कोड —————
पंचायत ————— तहसील ————— जिला —————

(14) प्रार्थी के पति/पत्नी का वर्तमान व्यवसाय:

(15) प्रार्थी के पति/पत्नी का की शैक्षणिक स्तर/यता

(16) क्या प्रार्थी ने इस प्रकार का पुरस्कार पहले प्राप्त किया है यदि हां तो विवरण:-

(17) प्रार्थी के बैंक खाता संख्या तथा शाखा का नाम :

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान

घोषणा

मैं ————— पुत्र/पुत्री/पत्नी —————
गांव ————— डाउ ————— तहसील —————

जिला ————— सत्यानिष्ठा लेकर अपने ज्ञान अनुसार यह घोषणा करता/करती हूं कि उक्त विवरण तथा तथ्य पूर्णतः सही है । इनमें कोई ऐसा तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई भी तथ्य छुपाया गया है ।

दिनांक :-

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान

१२

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाएः—

1. हिमाचली प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार के पद से कम न हों, से जारी हों।
2. दम्पति का जाति प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार के पद से कम न हों, से जारी हों।
3. आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा की वार्षिक प्रमाण पत्र इत्यादि)
4. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जो विवाह रजिस्ट्रार से जारी हों।
5. दम्पति का फोटोग्राफ।

सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी की सत्यापन रिपोर्टः—

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/ श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ ग्राम _____
डा० _____ तहसील _____ जिला _____ हि०प्र० के द्वारा प्रार्थना
पत्र में दिये गये पूर्ण तथ्यों की जांच की गई तथा योजना के प्रावधानों के अनुरूप पात्र है। अतः प्रार्थी को
अन्तर्जातिय विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर

तहसील कल्याण अधिकारी

(मोहर सहित)

दिनांकः—

(18)

अनुबन्ध "ख"

रसीद

रु० (राशि शब्दों में)की राशि बावत्
अन्तर्राजातीय विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण अनुसार जिला कल्याण अधिकारी
द्वारा तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की गई :—

1. रु० राशि चैक/बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक
मेरे संयुक्त बचत खाता संख्या के माध्यम से प्राप्त की ।
2. रु० राशि मेरे तथा मेरे पति/पत्नी के नाम पांच वर्ष के लिये सावधि जमा
निधि के रूप में बैंक/डाकघर शाखा में रसीद संख्या
दिनांक के माध्यम से प्राप्त की ।

दिनांक :—

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पूर्ण पते सहित

सत्यापित

(iv)

अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट

अनुबंध 'ग'

क्रमांक	लाभार्थी का जिससे विवाह	विवाह की पुरस्कार स्वीकृति की राशि निर्गत क्या विवाहित जीवन समस्याओं के निपटारे
नाम जाति व पूर्ण पता	किया का नाम जाति व पूर्ण पता	स्वीकृति की राशि करने की सोहँदपूर्ण व्यतीत कर के लिये दिये गए सुआव/किये प्रयासों का विवरण

हस्ताक्षर मोहर सहित